संख्याः 969 /XI/2018/56(65)2017

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 26 अप्रैल, 2018

विषयः– ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष बजट अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं0 06/दिनांकः 17.04.2018 में की गयी संस्तुति एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/दिनांक 02.04.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में प्राविधानित बजट की धनराशि के सापेक्ष रू0 **178.45 लाख (रू0 एक करोड़ अठहत्तर लाख पैतालींस हजार मात्र)** की धनराशि **संलग्न तालिका के मानक मदों के अनुसार** आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि को अविलम्ब आहरित कर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नियमानुसार व्यय हेतु रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारणी बनाकर ही किया जाए। अवमुक्त की जा रही धनराशि से अधिक आहरण के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे।
3. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निवर्तन पर रखी गयी धनराशि प्रत्येक माह विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. किसी भी लेखाशीर्षक/मद में बजट प्राविधान के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि की सीमा में ही व्यय किया जाए। बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में व्यय न किया जाए और न ही पुर्नविनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाए।
5. प्रश्नगत मानक मद के अन्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रुल्स, 2017 तथा अन्य स्थायी आदशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाएं उनमें स्पष्ट रुप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का उल्लेख भी किया जाए।
7. विभाग में स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाए और प्रत्येक माह की स्वीकृति व्यय सम्बन्धी सूचना अद्यतन करते हुए तत्सम्बन्धी आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर शासनादेशों

की प्रतियों सहित वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

8. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए। बी0एम0–13 पर नियमित रुप से सूचना प्रत्येक माह की 20 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जाय।
9. निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2019 तक अवश्य कर लिया जाय एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/दिनांक 02 अप्रैल, 2017 में दिये गये प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में **अनुदान संख्या–19** के लेखा शीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–102–सामुदायिक विकास–34–ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग हेतु **संलग्नक 'क'** में उल्लिखित लेखाशीर्षक के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्याः 183/XXVII–1/2012 दिनांकः 28 मार्च, 2012 के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर **S1804190360** दिनांकः 23.04.2018 से जेनरेट कर जारी किए जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष स्तर से भी सभी आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्याः /2018/56(65)2017 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, (ए.एण्ड.ई.), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. अनु सचिव, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव

शासनादेश संख्याः 969 /XI/2018/ 56(65)2017 दिनांकः 26 अप्रैल, 2018 का संलग्नक

(धनराशि रू0 हजार में)

क्र0 सं0	लेखा शीर्षक	आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित अवशेष धनराशि
1.	2.	3.	5.
	अनुदान संख्या–19 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 102–सामुदायिक विकास 34– ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग		
1.	01–वेतन	8000.00	8000.00
2.	03–मंहगाई भत्ता	1300.00	1300.00
3.	04–यात्रा व्यय	500.00	500.00
4.	06–अन्य भत्ते	600.00	600.00
5.	08–कार्यालय व्यय	500.00	500.00
6.	09–विद्युत देय	200.00	200.00
7.	10–जलकर/जल प्रभार	25.00	25.00
8.	11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	200.00	200.00
9.	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500.00	500.00
10.	13–टेलीफोन पर व्यय	200.00	200.00
11.	15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	750.00	750.00
12.	16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3500.00	3500.00
13.	18–प्रकाशन	100.00	100.00
14.	22–आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	20.00	20.00
15.	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	200.00	200.00
16.	29–अनुरक्षण	500.00	500.00
17.	42–अन्य व्यय	500.00	500.00
18.	44–प्रशिक्षण व्यय	50.00	50.00
19.	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	100.00	100.00
20.	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	100.00	100.00
	योग	**17845.00**	**17845.00**

(रू रू0 एक करोड़ अठहत्तर लाख पैतालीस हजार मात्र)

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Rural Development (S041)

आवंटन पत्र संख्या - 969 XI/18/56(65)2017

अलोटमेंट आई डी - S1804190360

आवंटन पत्र दिनांक -23-Apr-2018

अनुदान संख्या - 019

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

00 -

1: लेखा शीर्षक 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

102 - सामुदायिक विकास

34 -

00 -

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	8000000	8000000
03 - महंगाई भत्ता	0	1300000	1300000
04 - यात्रा व्यय	0	500000	500000
06 - अन्य भत्ते	0	600000	600000
08 - कार्यालय व्यय	0	500000	500000
09 - विद्युत देय	0	200000	200000
10 - जलकर / जल प्रभार	0	25000	25000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों क	0	200000	200000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपक	0	500000	500000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	200000	200000
15 - गाडियों का अनुरक्षण और प	0	750000	750000
16 - व्यावसायिक तथा विशिष्ट सेव	0	3500000	3500000
18 - प्रकाशन	0	100000	100000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्त	0	20000	20000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	0	200000	200000
29 - अनुरक्षण	0	500000	500000
42 - अन्य व्यय	0	500000	500000
44 - प्रशिक्षण व्यय	0	50000	50000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेय	0	100000	100000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्ब	0	100000	100000
	0	**17845000**	**17845000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 17845000